रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2014/फाल्गुन 21, 1935;
No. 35] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2014/PHALGUNA 21, 1935

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2014

आ.अ. 46(अ).—यतः मिजोरम राज्य में, मिजोरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज अनेक निर्वाचक विवशतापूर्ण परिस्थितियों के कारण प्रवास कर चुके थे तथा वे त्रिपुरा राज्य के विभिन्न पारगमन शिविरों में अपने सामान्य निवास स्थान से दूर अस्थाई रूप से निवास कर रहे हैं;

यतः भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के मताधिकार को ध्यान में रखते हुए निदेश दिया था कि इन प्रवासियों को, उनके अस्थाई प्रवसन के बावजूद मिजोरम राज्य में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उनके नाम जोड़ने/हटाने के लिए उनके संबंधित निवास स्थानों का सामान्य निवासी ही माना जाता रहेगा जैसा कि 01.01.2014 को अर्हता तिथि मानने के संदर्भ में संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था;

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के परामर्श से, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के दिनांक 7 मार्च, 2014 के पत्र सं. एच–11019/10/2013–विधायी. II के संदर्भ में, एतद्द्वारा मिजोरम राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न विधान सभा निर्वाचन खण्डों में दर्ज उन प्रवासी निर्वाचकों, जो कि वर्तमान में विभिन्न पारगमन शिविरों में निवास कर रहे हैं, को लोक सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2014 में डाक मत–पत्र द्वारा अपना मत देने के लिए अधिसूचित किए गए व्यक्तियों की श्रेणी में अधिसूचित करता है, बशर्ते कि वे उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हों ।

[सं. 464/मिजोरम–लो.स./2014]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2014

O.N. 46(E).—Whereas, a number of electors enrolled in Assembly Constituencies in the State of Mizoram had migrated because of compelling circumstances and have been temporarily residing in various transit camps in the State of Tripura outside their place of ordinary residence; and

Whereas, the Election Commission of India, having regard to the right of franchise of such migrant electors, directed that these migrants, despite their temporary migration, shall continue to be treated as ordinarily residents of their respective places, for inclusion/retention of their names in the electoral rolls of the relevant Assembly Constituencies in the State of Mizoram, as summarily revised with reference to 01.01.2014 as the qualifying date;

Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of powers conferred by clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951 and in consultation with the Government of India *vide* the Ministry of Law and Justice, Legislative Department letter No. H-11019/10/2013-Leg.II, dated 7th March, 2014, hereby notifies the aforementioned migrant electors enrolled in different Assembly Constituencies in Mizoram and who are presently residing in various transit camps outside their place of ordinary residence, as the notified class of persons to give their vote by Postal Ballot at the current General Election to the Lok Sabha, 2014, subject to the fulfilment of the requirements specified in the rules made under the said Act.

[No. 464/MIZ-HP/2014]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.